कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

संख्या 1078 /आबकारी नीति/जि0आ0अधि0/बाँदा/2018–19/दिनाँक 17 फरवरी 2018

विज्ञप्ति

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर एवं भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन हेतु आवश्यक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या–07/2018/ई–2/तेरह–2018–46/2016 दिनॉक 25.01.2018 तदनुसार आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र संख्या4492–4566/आठ–सांख्यिकी/ई–लाटरी/2017–18 दिनॉक इलाहाबाद,फरवरी,10, 2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु जनपद की देशी शराब की 129, विदेशी मदिरा की 54, बीयर की 39 व भांग की 24 फुटकर बिक्री की दुकानों तथा 02 माडल शाप का व्यवस्थापन सुसंगत नियमावलियों के प्रविधानों के अन्तर्गत निम्न शर्तों के साथ किया जाना है–

1. ई–लाटरी प्रणाली से सम्बन्धित पोर्टल पर किसी भी आवेदक को सर्व प्रथम अपने आप को पंजीकृत कराना होगा। पंजीकरण के समय सर्वप्रथम उसको अपना आधार नं0 एवं उसके नीचे दिया गया कैप्चा भरना होगा। यह कार्य करते ही उसके आधार कार्ड से लिंक मोबइल नं0 पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसे उसको यथा स्थान भरना आवश्यक होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जायेगा जिसमें आवेदक को पैन नम्बर सहित कतिपय सूचनाएं भरनी होगी।
2. आवेदक के सफल पंजीकरण पर उसको एक रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड उसके मोबाइल नं0/ई–मेल पर प्रेषित की जायेगी।
3. उक्त रजिस्ट्रेशन आई0डी0 एवं पासवर्ड के आधार पर पंजीकृत आवेदक पोर्टल में प्रवेश पा सकते है। प्रवेश करते समय आवेदक को अपना पासवर्ड बदलने के लिए कहा जायेगा। आवेदक को नया पासवर्ड जनरेट करना होगा, तथा भविष्य में पंजीकरण संख्या एवं नए पासवर्ड के आधार पर ही पोर्टल में प्रवेश सम्भव होगा।
4. पोर्टल में प्रवेश करके आवेदक अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी जनपद की देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडल शाप्स के सम्बन्ध में दुकान का नाम, एम0जी0क्यू0, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि, प्रतिभूति धनराशि तथा हैसियत धनराशि की जानकारी प्राप्त कर सकता है।
5. किसी दुकान के लिए वह इन सूचनाओं के आधार पर आवेदन के लिए तैयारी कर सकता है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडल शाप्स की दुकानों के लिये देय प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 की धनराशि, अर्हताओं आदि का विवरण भी उसको पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। अतः आवेदन करने से पूर्व आवेदक का पूर्ण रूप से संतुष्ट होना आवश्यक है।

6. आवेदन करते समय आवेदक को अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो (JPG अथवा JPEG फारमेट में 10 KB से 100KB तक), हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ–पत्र की स्कैन कापी कम्पयूटर में/पैनड्राइव में तैयार रखनी होगी, ताकि अपलोड करते समय यह अभिलेख उसके पास उपलब्ध रहे।
7. किसी भी दुकान के लिए आवेदन चार चरणों में पूर्ण होगा। पहले चरण में आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु दुकान का चयन करेगा। यदि वह सह आवेदक के साथ आवेदन करता है, तो सह आवेदक का विवरण भी भरना होगा। इसके बाद द्वितीय चरण में अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विगत वर्ष की आयकर विवरणी एवं शपथ पत्र की स्कैन कापी तथा फोटो अपलोड करनी होगी। तत्पश्चात तृतीय चरण में उसे ई–पेमेंट के माध्यम से प्रोसेसिंग फीस, जी0एस0टी0 एवं धरोहर धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जमा करनी होगी। यह कार्य करने से पूर्व उसको अपने बैंक एकाउन्ट का डिटेल भी आई0एफ0एस0सी0 कोड सहित भरना होगा ताकि चयनित न होने की दशा में उसकी धरोहर धनराशि वापस हो सके।
8. चतुर्थ चरण में आवेदक को भरे हुए आवेदन पत्र की प्रिन्ट लेने की सुविधा होगी तथा पेमेंट किये जाने से पूर्व वह अपने आवेदन में संशोधन भी कर सकता है लेकिन यदि उसके द्वारा ई पेमेंट कर दिया गया है तो कोई संशोधन अनुमन्य नहीं होगा।
9. आवेदक को समस्त कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात एक पावती रसीद, जिसमें समस्त सूचनाएं अंकित होगी, प्राप्त होगी जिसका वह प्रिन्ट ले सकता है।

समय सारणी

जनपद की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व भांग की फुटकर बिक्री की दुकानों व मॉडल शाप्स के वर्ष 2018–19 में व्यवस्थापन हेतु समय–सारणी –

क्र0 सं0	विवरण	तिथि, समय व स्थान
1	उपर्युक्त समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व मॉडल शाप दुकानों को वर्ष 2018–19 हेतु व्यवस्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन	दिनॉक 20.02.2018 की प्रातः 10:00 बजे से दिनॉक 28.02.2018 को अपरान्ह 19:00 बजे तक
2	देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर व मॉडल शाप दुकानों की ई–लाटरी	दिनॉक 05.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार जनपद बॉदा में
3	भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	दिनॉक 07.03.2018 को 11:00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार जनपद बॉदा में

नोटः—

1. यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है या पूर्व घोषित सार्वजनिक अवकाश रहता है, तो उसके बावजूद सम्बन्धित तिथि के लिए निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।
2. अधिक जानकारी के जिला आबकारी अधिकारी, अथवा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आवेदकों की पृच्छाओं के समाधान हेतु हेल्प डेस्क बनाया गया है जिसका दूरभाष नं0 05192— 225234 है।
3. दुकानों की लाटरी की निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्यवाही की प्रक्रिया में आवेदक सहभागी हो सकते हैं।
4. आवेदन की पावती रसीद धारकों को ही लाटरी स्थल/पण्डाल में प्रवेश दिया जायेगा।

17/02/18
(विजय कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
बाँदा

17.2.18
(दिव्य प्रकाश गिरि)
जिलाधिकारी,
बाँदा

संख्या 1079-83 उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित —

1. नाजिर सदर, जनपद बाँदा को इस आश्य से प्रेषित कि निर्धारित तिथियों व समय पर कलेक्ट्रेट सभागार खोलना सुनिश्चित करें।
2. सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान एवं पायनियर को इस आशय से कि न्यूनतम स्थान में राजकीय दर पर प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

17/02/18
(विजय कुमार सिंह)
जिला आबकारी अधिकारी,
बाँदा।